***Demand for raising matter of brutalities meted out to Kargil Martyr Captain Saurabh Kalia in International Court of Justice**

श्री शान्ता कुमार (हिमाचल प्रदेश): महोदय, कारगिल शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता डा. नरेन्द्र कालिया ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर भारत सरकार को शहीद कालिया पर पाकिस्तान द्वारा किए गए बर्बर अत्याचारों का मामला हेग की अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। शहीद सौरभ कालिया को 15 मई, 1999 को पाकिस्तान द्वारा काकसर सेक्टर में अपने चार साथियों सहित नियमित पेट्रोलिंग के दौरान बंदी बना लिया गया था। 15 दिनों तक कैप्टन सौरभ कालिया को मानसिक और शारीरिक यातनाएं देने के बाद उनका क्षत-विक्षत शव परिवार को सोंपा गया था। यह अवधि कारगिल के अघोषित युद्ध से पूर्व की थी। कैप्टन कालिया का परिवार वीर भूमि हिमाचल के कांगड़ा जिले के पालमपुर में रहता है, जो मेरा भी गृह क्षेत्र है। शहीद सौरभ कालिया का परिवार पिछले 13 वर्षों से युद्ध बंदी के साथ अमानवीय बर्ताव करने का मामला राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठा चुका है, ताकि पाकिस्तान को इस कुकृत्य के लिए दंडित किया जा सके। दुर्भाग्यवश यह परिवार आज दिन तक इंसाफ प्राप्त नहीं कर सका। युद्ध बंदी के साथ अमानवीय बर्ताव जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है, जिसके लिए पाकिस्तान को दोषी करार दे कर दंडित किया जाना चाहिए। सौरभ कालिया के परिवार को इस सम्बन्ध में सेना प्रमुख और सारकार से आश्वासन तो मिला है, लेकिन कार्यवाही की उम्मीद बहुत कम लगती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीद कालिया के माता-पिता को अविलम्ब यथोचित न्याय दिलाया जाए।

***Need to take concrete steps to check unabated casualties on Mumbai Railway Tracks**

SHRI SANJAY RAUT (Maharashtra): Mr. Chairman, Sir, my Special Mention is relating to the Mumbai Suburban Railway Network.

As a matter of fact, traveling by Mumbai suburban railway day-after-day has become a death trap.

A high-level Safety Committee of the Indian Railways, led by noted scientist, Dr. Anil Kakodkar, has pointed out that the number of casualties on railway tracks indicates that the situation is grim and needs urgent attention. The Report says that an estimated 15,000 people die on railway tracks every year due to trespassing. Of these, 6,000 deaths of the casualties take place in Mumbai Suburban Railway Network. In fact, there are no barricaders along the tracks, fencing as well as no requisite number of foot-over-bridge crossings. Even the existing ones are in pathetic condition and gets jammed due to steady flow of passenger traffic. In order to cross over from one platform to another, it takes, 8-10 minutes. Due to this, many passengers reluctantly cross over rail tracks to save time.

---

* Laid on the Table.